न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 57 / 2012 (उदयपुर डिक्री)

1. कूका पिता स्वर्गीय परथा जी मीणा, निवासी उमरडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. मोती पिता स्वर्गीय परथा जी मीणा, निवासी उमरडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती देऊ बाई पुत्री स्वर्गीय परथा जी मीणा, निवासी उमरडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती धनकी बाई पुत्री स्वर्गीय परथा जी मीणा, निवासी उमरडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. नाना पिता किशना जी मीणा, निवासी उमरडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा – 223 राजस्थान
काश्त॰ अधि॰ – 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा दिनांक
01–06–2011 प्रकरण संख्या 51 / 2011

–––/–––

उपस्थित :– 1– श्री सुशील कोठारी/कृष्णसिंह चौहान अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री हनुमान प्रसाद शर्मा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1
3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 2

–––::–––

निर्णय **दिनांक 31–12–2024**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा उमरडा, तहसील गिर्वा में वादी के खातेदारी एवं आधिपत्य की साबिक आराजी नंबर 2542, 2584, 2598, 2601, 2918, 2929, 2932, 2938, 2939, 2940 कुल किता 10 रकबा साढ़े आठ बीघा तीन बिस्वा भूमि स्थित है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.01.22 17:59:45 IST
Reason: SelfAttested

जिसके हाल आराजी नंबर 7002, 7003 कुल किता 2 रकबा 0.0650, हाल आराजी नंबर 5200, 5220, 5221, 6441, 6442, 6446, 6447, 6451, 6452, 6453, 6454, 6557, 6472, 6989, 6990, 6991, 6992 कुल किता 18 रकबा 1.4950 हैक्टर, हाल आराजी नंबर 5215 रकबा 0.2000, हाल आराजी नंबर 5360 रकबा 0.0250 हैक्टर में 1/2 हिस्सा निहित है तथा हाल आराजी नंबर 5193, 5194, 5195 कुल किता 3 रकबा 0.4900 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त आराजियात वादी के पिता किशना वल्द भेरा मीणा की थी तथा किशना जी की मृत्यु पश्चात् वादी एक मात्र वारिस होकर परथा वल्द किशना के नाम से खातेदारी हक से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, जिस पर वादी शान्ति पूर्वक काबिज चला आ रहा है। वादी को नाना व परथा दोनों नाम से जाना जाता है, किन्तु जमाबन्दी में परथा वल्द किशना नाम होने से वादी को भविष्य में किसी प्रकार का नाम संबंधी विवाद उत्पन्न न हो इसलिए परथा वल्द किशना के बजाय परथा उर्फ नाना पिता किशना नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर दिनांक 01—06—2011 को निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद स्वीकार कर परथा पिता किशना के बजाय परथा उर्फ नाना पिता किशना दर्ज करने का आदेश दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है तथा उसके साथ आदेश 41 नियम 27 जा.दी. का प्रार्थना पत्र एवं धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय हाजा द्वारा अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तथा उभयपक्षों की बहस सुनकर दिनांक 17—09—2014 को आदेश 41 नियम 27 जा.दी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया एवं दिनांक 10—11—2014 को धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपीलान्ट/प्रार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की।

न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 17—09—2014 से रूष्ट होकर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की जो माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 20—02—2018 निगरानी खारिज कर दी, जिसके पश्चात् पत्रावली न्यायालय हाजा को प्राप्त होने पर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.01.22 17:59:45 IST
Reason: SelfAttested

ओर से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रसाद शर्मा हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सुशील कोठारी श्री कृष्ण सिंह चौहान उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चूंकि अपीलान्ट/प्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे, जिससे उन्हें निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी। दिनांक 14–05–2012 को प्रथम बार जानकारी तब हुई जब विपक्षी मौके पर कुछ लोगों को लेकर आया तथा बताया कि उक्त भूमि उसके खाते अंकित है। जानकारी दिनांक से अपील समयावधि में प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चूंकि अपीलान्टगण अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे तथा उन्हें उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी पूर्व में होने की कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर नहीं है। अतः न्यायहित में प्रकरण में गुणावगुण के दृष्टिगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि विवादित आराजियात अपीलान्टगण के पिता परथा जी के खातेदारी में दर्ज थी, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, किन्तु विरासत का नामान्तरकरण अपीलान्टगण के नाम नहीं खोला गया, जिसका अनुचित लाभ उठाते हुए रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अपना नाम नाना उर्फ परथा बताकर अपीलान्टगण के पिता की कुलिया भूमि के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 के विरूद्ध वाद प्रस्तुत कर सम्पूर्ण भूमि अपने खाते करवा ली। उक्त निर्णय व डिक्री अपीलान्टगण के परोक्ष में उन्हें बिना पक्षकार बनाये एवं बिना सुने जारी की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा सन् 2010 में बनाये गये फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रेस्पोन्डेन्टगण का वाद डिक्री किया है, जबकि अपीलान्टगण के पिता का स्वर्गवास व[illegible] में ही हो गया था, रेस्पोन्डेन्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.01.22 17:59:45 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 1 ने अपीलान्टगण की भूमि हड़पने की नीयत से नाना के साथ उर्फ शब्द परथा जोड़कर आपराधिक कृत्य किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने का आदेश फरमाया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने निवेदन किया कि रेस्पोन्डेन्ट नाना को परथा नाम से भी जाना जाता है, किन्तु राजस्व रेकार्ड में भूमि परथा पिता किशना के नाम से अंकित होने से एवं भविष्य में किसी प्रकार की कोई कानूनी समस्या उत्पन्न नहीं हो, इसी कारण परथा वल्द किशना के बजाय नाना उर्फ परथा वल्द किशना जोड़े जाने का निवेदन किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर स्वीकार करते हुए रेस्पोन्डेन्ट का वाद डिक्री किया है। अतः अपील खारिज की जावे।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस दिनांक 10–12–2024 को सुनने के पश्चात् पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 30–12–2024 नियत की गयी, किन्तु दिनांक 30–12–2024 को पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने से निर्णय नहीं लिखाया जा सका एवं दिनांक 30–12–2024 को ही अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोन्डेन्ट नाना उर्फ परथा की मृत्यु दिनांक 25–12–2024 को हो चुकी है अतः प्रकरण में कोई भी अग्रिम आदेश पारित नहीं किया जावे, किन्तु इस बाबत् अधिवक्ता द्वारा नाना की मृत्यु का कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके की उक्त दिनांक को नाना की मृत्यु हो चुकी है तथा आदेश 22 नियम 6 अनुसार सुनवाई की समाप्ति एवं निर्णय सुनाने के बीच वाले समय में किसी भी पक्षकार की मृत्यु के कारण कोई भी उपशमन नहीं होगा, किन्तु ऐसी दशा में मृत्यु हो जाने पर भी निर्णय सुनाया जा सकेगा और उसका वही बल और प्रभाव होगा मानो वह मृत्यु होने से पूर्व सुनाया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर आदेश को रोका जाना न्यायोचित नहीं होगा। तद्नुसार उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से [illegible] तथ्य प्रकट होते हैं :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.01.22 17:59:45 IST
Reason: SelfAttested

(1) आदेशिका दिनांक 18–05–2011 अनुसार पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 01–06–2011 नियत थी, किन्तु बिना साक्ष्य लिये उक्त दिनांक को वाद डिक्री कर दिया।

(2) वाद घोषणा का था तथा प्रतिवादी सरकार की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया था, ऐसी स्थिति में प्लीडिंग्स के आधार पर तनकियां कायम कर तनकीवार निर्णय किया जाना अपेक्षित था।

(3) दावे की कलम संख्या 1 में आराजी नंबर 5193, 5194, 5195 कुल किता 3 रकबा 0.4900 हैक्टर भूमि वाद में बाद में जोड़े जाने का प्रार्थना पत्र दिनांक 01–06–2011 को वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिस पर बिना किसी आदेश के जोड़ा गया, जबकि इसके लिए संशोधित वाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए था।

(4) दावे की कलम संख्या 3 में वादी ने नाना व परथा दोनों नाम से जाने जाने का उल्लेख किया है, जिसके संबंध में प्रतिवादी तहसीलदार ने लिखा है कि सक्षम न्यायालय से साबित करा वादी दाद प्राप्त करें, परन्तु सक्षम न्यायालय का कोई आदेश नहीं है।

(5) दावे अपीलान्टगण को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जबकि प्रथम दृष्टया अपीलान्टगण परथा के पुत्र होना प्रकट होने के आधार पर उनका धारा 96 जा.दी. के प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उन्हें प्रकरण में प्रभावित पक्ष माना गया है।

(6) प्रकरण में यह भी प्रकट आया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिन दस्तावेजों के आधार पर रेस्पोन्डेन्ट/वादी का वाद डिक्री किया गया है, उक्त दस्तावेजों को जिला कलक्टर उदयपुर की अध्यक्षता में बनायी गयी कमेटी, जिसमें जिला कलक्टर के अलावा, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) उदयपुर, उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद उदयपुर एवं उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग उदयपुर द्वारा जांच के बाद तथा दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद उक्त दस्तावेजों को निर्णय दिनांक 29–05–2018 द्वारा निरस्त किये जाने का आदेश दिया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.01.22 17:59:45 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्तानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 01–06–2011 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में हमारे द्वारा किये गये उक्त बिन्दुवार विवेचन को दृष्टिगत करते हुए अपीलान्टगण को प्रतिवादीगण के रूप में संस्थित कर तथा उन्हें सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुतिच अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 24–02–2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 31–12–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.01.22 17:59:45 IST
Reason: SelfAttested